बिहार सरकार

अनुसूचित जाति एवं जन–जाति कल्याण विभाग।

पत्रांक– 18/वि०२11-50 /

प्रेषक,

एस० एम० राजू,
सरकार के सचिव।

सेवा में,

सभी कल्याण पदाधिकारी (सुपौल, शिवहर, सहरसा, मधुबनी, औरंगाबाद, इस्ट चम्पारण किशनगंज एवं मधेपुरा को छोड़कर), बिहार।

पटना, दिनांक 17 जनवरी, 2014

विषयः–अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के विद्यार्थियों को पोस्ट मैट्रिक छात्रवृत्ति एवं फीस निर्गत करने के संबंध में।

महाशय,

उपरोक्त विषय के संबंध में कहना है कि अधोहस्ताक्षरी को राजा रामचन्द्र इन्स्टीच्यूट ऑफ टेकनोलॉजी एण्ड मेनेजमैंट, दुलारी देवी इन्स्टीच्यूट ऑफ फरमेसी एवं एन०सी०आर० टेकनिकल कैम्पस, अलीगढ़ संस्था द्वारा आवेदन पत्र दिया गया है। इन इन्स्टीच्यूट में अध्ययन कर रहे छात्र–छात्राओं का वर्ष 2012–13 का अभी तक फीस एवं छात्रवृत्ति निर्गत नहीं किया गया है।

2– इस संदर्भ में अधोहस्ताक्षरी द्वारा पूर्व में ही सभी जिला कल्याण पदाधिकारी को स्पष्ट निदेश दिया गया था कि सभी तरह के पोस्ट मैट्रिक स्कलरशिप एवं फीस समय–सीमा के अन्दर निर्गत करते हुए अधोहस्ताक्षरी को अवगत करायें, किन्तु यह खेद की बात है कि अभी भी इन संस्थाओं में पढ़ने वाले विद्यार्थियों को प्रवेशिकोत्तर छात्रवृत्ति एवं फीस की राशि निर्गत नहीं की गयी है जिसके कारण विद्यार्थियों को अत्यन्त कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है। इसलिए इन विद्यार्थियों का इस पत्र के साथ संलग्न सूची के अनुसार दिनांक 30.01.2014 तक नियमानुसार पोस्ट मैट्रिक छात्रवृत्ति एवं फीस निर्गत कर अधोहस्ताक्षरी को अविलम्ब अवगत करायें। यदि निर्गत करने में कोई कठिनाई हो तो इसके संबंध में भी अधोहस्ताक्षरी को सूचित करें।

अनु०:– यथोक्त।

विश्वास भाजन,

17.1.14

(एस० एम० राजू)
सरकार के सचिव।